निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 14/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जीसीएमएस नं0 2025/43

ए.यू. स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर

....प्रार्थी

1. दीपक जनरल स्टोर पता–कुडगांव सपोटरा रोड, गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर 322001
2. भूरा सिंह पुत्र हरीसिंह जाट नि0 जाट मोहल्ला, जाट बडोद गंगापुरसिटी सवाई माधोपुर 322202 अन्य पता– ग्राम जाट बडोद पंचायत समिति गंगापुर जिला स0मा0
3. दीपक सिह जाट पुत्र भूरा सिंह नि0 जाट मोहल्ला, जाट बडोद गंगापुरसिटी सवाई माधोपुर 322202

..........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.09.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में मैसर्स दीपक जनरल स्टोर पता–कुडगांव सपोटरा रोड, गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर प्रोपराईटर भूरा सिंह पुत्र हरीसिंह जाट नि0 जाट मोहल्ला, जाट बडोद गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा सं. 41 ग्राम जाट बडोदा पंचायत समिति गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में रास्ता व प्रकाश पुत्र मिश्रीलाल जाट का मकान, पश्चिम में गोविन्द सिंह पुत्र चौथी जाट का मकान, उत्तर में दीनदयाल जाट का मकान व दक्षिण में गोविन्द सिंह पुत्र चौथी जाट का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 58.77 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 3,40,000/– (तीन लाख चालीस हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.11.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 14.11.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा सं. 41 ग्राम जाट बडोदा पंचायत समिति गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में रास्ता व प्रकाश पुत्र मिश्रीलाल जाट का मकान, पश्चिम में गोविन्द सिंह पुत्र चौथी जाट का मकान, उत्तर में दीनदयाल जाट का मकान व दक्षिण में गोविन्द सिंह पुत्र चौथी जाट का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 58.77 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 28/2/2025 को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:09:03 IST
Reason: SelfAttested